अनुदान संख्या 67 - अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
GRANT No. 67 – MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	2751,00,00	2751,01,00	2182,78,12	-568,22,88
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				559,24,46
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted-		115,00,00	115,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	31196.00	30340.84	29454.82	-886.02
पु.	R.	-855.16			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	1948.00			
पू.	S.	1.00	266.10	266.11	+0.01
पु.	R.	-1682.90			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	26850.00	..	..	..
पु.	R.	-26850.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	210913.00				
				186033.10	186033.07	-0.03
पु.	R.	-24879.90				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	2653.00				
				1231.70	1231.61	-0.09
पु.	R.	-1421.30				

(I) ₹28205.00 लाख का प्रावधान अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹28128.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक कल्याण - अन्य कार्यक्रम - अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की स्कीम"- ₹1348.00 लाख स्कीम का पुन: प्रतिपादन विलम्ब से होने की वजह से स्कीम की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अल्पसंख्यकों के लिए नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध स्कीम" - ₹150.00 लाख ;

(ख) "सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य व्यय" -

(i) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति" - ₹1400.00 लाख;

(I) Provision of ₹28205.00 lakhs remained wholly unutilised under eighteen heads; of these ₹28128.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" – "Social Welfare - Other Programmes - Scheme for Leadership Development of Minority Women" – ₹1348.00 lakhs - due to non-finalisation of procedure of scheme owing to late reformulation of the scheme.

(B) Major Head "2552" –

(a) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Aid to Voluntary Organisations – Free Coaching and Allied Scheme for Minorities" – ₹150.00 lakhs;

(b) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Other Expenditure" -

(i) "Merit-cum-Means based Scholarship for professional and technical courses for Minorities" – ₹1400.00 lakhs;

(ii) "अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹14080.00 लाख;

(iii) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - ₹6000.00 लाख;

(iv) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - ₹4500.00 लाख; और

(v) "अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" - ₹500.00 लाख ।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(vi) "अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की स्कीम" - ₹150.00 लाख स्कीम का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2225" - "सामान्य - अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए जनसंचार-माध्यम अभियान" - ₹680.23 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "स्कीमों का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन" - ₹441.95 लाख की बचत (₹570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) "अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹798.73 लाख की बचत (₹850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला योजनाओं, उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने, कुछ राज्यों में चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने और अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – ₹14080.00 lakhs;

(iii) "Pre-Matric scholarship for Minorities" – ₹6000.00 lakhs;

(iv) "Post-Matric scholarship for Minorities" – ₹4500.00 lakhs; and

(v) "Maulana Azad National Fellowship for Minority Students" – ₹500.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds /funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vi) "Scheme for Leadership Development of Minority Women" – ₹150.00 lakhs – due to non-implementation of the scheme.

(II) Under Major Head "2225" – "General – Other Expenditure"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Media Campaign for Minorities" – saving of ₹680.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and non-utilisation of funds by Directorate of Advertising and Visual Publicity.

(B) "Research/Studies, monitoring and evaluation of Schemes" – saving of ₹441.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹570.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.

(C) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – saving of ₹798.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs) was due to non-receipt of district plans, utilisation certificates, promulgation of code of conduct for election in some States and non-utilisation of funds by Andaman and Nicobar Administration.

(घ) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - ₹190.49 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - ₹197.40 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अंडमान और निकोबार तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक कल्याण - अन्य कार्यक्रम - राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण" - ₹417.64 लाख की बचत (₹480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता- सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति" - ₹949.04 लाख की बचत (₹12400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - ₹3577.60 लाख की बचत (₹39800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(गा) "अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹28366.41 लाख की बचत (₹105410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(D) "Pre –Matric Scholarship for Minorities" – saving of ₹190.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs); and

(E) "Post –Matric Scholarship for Minorities" – saving of ₹197.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from Union Territory of Andaman and Nicobar and Chandigarh and non-utilisation of funds by Union Territories without legislature.

(III) Under Major Head "2235" – "Social Welfare – Other Programmes – Computerization of records of State Waqf Boards" – saving of ₹417.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹480.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and utilisation certificates.

(IV) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – General – (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Other Grants" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Merit-cum-Means based Scholarship for professional and technical courses for Minorities"– saving of ₹949.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12400.00 lakhs) ; and

(B) "Post-Matric scholarship for Minorities" – saving of ₹3577.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate proposals from State Governments.

(C) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – saving of ₹28366.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹105410.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "3602" - केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹604.02 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें जिला योजनाओं और उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने और कुछ राज्यों में आचार संहिता लागू होने के कारण हुईं।

(खा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - ₹334.57 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - ₹433.83 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹247.49 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹83.75 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक कल्याण - अन्य कार्यक्रम - वक्फों को सहायता अनुदान" के अंतर्गत मार्च, 2012 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "सामान्य" -

(V) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - General-(Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes)- Other Grants"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – saving of ₹604.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of district plans and utilisation certificates and promulgation of code of conduct for elections in some States.

(B) "Pre-Matric scholarship for Minorities" – saving of ₹334.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs); and

(C) "Post-Matric scholarship for Minorities" – saving of ₹433.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from Union Territories of Delhi and Puducherry.

(VI) Under three heads savings of ₹247.49 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 13 percent to 26 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹83.75 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2012 under Major Head "2235" - "Social Welfare - Other Programmes - Grants-in-aid to Waqfs".

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads :-

(A) Major Head "2225" - "General"-

(क) "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अल्पसंख्यकों के लिए नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध स्कीम" - ₹150.00 लाख का अधिक व्यय (₹1448.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "अन्य व्यय - अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" - ₹500.00 लाख का अधिक व्यय (₹4698.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान - अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - ₹8016.12 लाख का अधिक व्यय (₹53300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा केरल से अधिक प्रस्तावों के प्राप्त होने कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

(a) "Aid to Voluntary Organisations – Free Coaching and Allied Scheme for Minorities" – excess of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1448.00 lakhs); and

(b) "Other Expenditure – Maulana Azad National Fellowship for Minority Students" – excess of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4698.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Other Grants - Pre-Matric Scholarship for Minorities" - excess of ₹8016.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more proposals from Karnataka, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Kerala.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	10350.00	11500.00	11500.00	..
पु.	R.	1150.00			

					कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1150.00	..	..	..
पु.	R.	-1150.00			

(I) ₹1150.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1150.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "General – (Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Minorities Development and Finance Corporation" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹1150.00 लाख का अधिक व्यय (₹10350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were offset by excess under Major Head "4225" – "General – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Minorities Development and Finance Corporation"– excess of ₹1150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10350.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.